

कार्यालय
आयकर आयुक्त
अलवर

दूरभाष: 0144-2705100/06 :: फ़ैक्स: 0144-2705102/03

आदेश:

1	निर्धारित का नाम	:	श्री. ग्रामीण विकास युवा संस्थान
2	पता	:	ग्राम- सैथल, जिला- दौसा
3	रशाई खाता संख्या	:	AAATG4483H
4	आदेश दिनांक	:	23.03.2011

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के तहत पंजीकरण -

संस्था ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के तहत पंजीकरण हेतु आवेदन, निर्धारित प्रारूप, फार्म संख्या 10ए में भरकर दिनांक-01.09.2010 को इस कार्यालय में प्रस्तुत किया। अतः संस्था को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के तहत पंजीकृत किया जाता है। यह पंजीकरण दिनांक 23.03.2011 से मान्य होगा। प्रार्थना पत्र को धारा 12ए के तहत इस कार्यालय के प्रार्थना पत्र पंजिका में क्रमांक 172/21 पर दर्ज कर लिया गया है।

यह आदेश संस्था के विधान-पत्र में निहित उद्देश्यों को पूर्ण रूप से पालन करने की स्थिति में ही मान्य होगा तथा आपके मामले का आगामी पुनरीक्षण/समीक्षा दो वर्ष पश्चात् किया जायेगा।



हस्ता.
(ब्रह्मानन्द वर्मा)
आयकर आयुक्त,
अलवर

क्रमांक: आ.आ./अल./स. आ.आ.(मुख्या.)/12ए/2010-2011/223/

दिनांक: 23.03.2011

प्रतिलिपी: -

1. श्रीमान् अपर आयकर आयुक्त, भरतपुर रेन्ज, भरतपुर ।
 2. श्रीमान् आयकर अधिकारी, वार्ड-दौसा को निर्देश के साथ कि यह सुनिश्चित किया जाए कि समिति / ट्रस्ट / संस्था द्वारा नियमित रूप से आयकर विवरणी दाखिल की जा रही है ।
- ✓ संबंधित ट्रस्ट / संस्था / समिति ।

क्रान्ति
(क्रान्ति)
सहायक आयकर आयुक्त (मुख्यालय)
कृते आयकर आयुक्त,
अलवर